







English	Hindi हिन्दी
Consent – it's your decision	सहमति – यह आपका निर्णय है
How you should be involved in decisions about your health care and treatment	आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल और उपचार के बारे में निर्णय लेने में किस प्रकार शामिल होना चाहिए।
Who is this leaflet for?	यह पुस्तिका किसके लिए है?
This leaflet is for people of all ages.	• यह पुस्तिका सभी उम्र के लोगों के लिए है।
There is also a version of this leaflet for young people under 16, called <b>Consent – your rights</b> . You can get a copy from anywhere you receive NHS care, or on the internet ( <a href="www.hris.org.uk">www.hris.org.uk</a> ).	• इस पुस्तिका का एक और संस्करण 16 साल की उम्र से नीचे के युवा लोगों के लिए भी है, जिसे <b>सहमति – आपके अधिकार</b> कहा जाता है। आप इसकी एक प्रतिलिपि, जहाँ भी आप एन एच एस सेवाएँ प्राप्त करते हैं से, या इंटरनैट पर www.hris.org.uk पर प्राप कर सकते हैं।
What is this leaflet about?	यह पुस्तिका किस बारे में है?
It tells you about your right to make decisions about your health care and treatment. Normally, you can accept or refuse any treatment, examinations or tests, and you can decide whether to take part in research.	यह आपको आपकी सेहत की देखभाल और उपचार के बारे में निर्णय लेने के आपके अधिकारों के बारे में बताती है। आम तौर पर, आप किसी भी उपचार, निरीक्षणों या परीक्षणों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, और आप फैसला कर सकते हैं कि आप अनुसंधान में भाग लेना चाहते हैं या नहीं।
What does consent mean?	सहमति का क्या मतलब है?
It means agreement. Before a doctor, nurse or any other health professional can examine or treat you, they must have your consent.	इसका मतलब है रजामंदी। इससे पहले कि, कोई डाक्टर, नर्स या कोई और सेहत पेशेवर आपका परीक्षण या उपचार कर सकें, उनके पास आपकी सहमति होनी जरूरी है।
Who can give consent?	सहमति कौन दे सकता है?
You can give consent if you can make decisions for yourself.	आप सहमति दे सकते हैं यदि आप अपने लिए कोई निर्णय करने में समर्थ हैं।

- Being able to make decisions means you can understand what is involved and can think clearly about the advantages and disadvantages of different actions.
- You must be given enough information, and you should be allowed to make up your own mind without pressure from other people.
- If you want someone to help you express your views, you can ask a friend, a relative, a partner or carer, another member of staff, or an independent representative (often called an 'advocate'). An advocate is independent of the NHS. They can help make sure your views are heard and get you access to the information you need to make your own decisions. You can ask a member of staff involved in your care about advocacy services in your area.
- निर्णय लेने में समर्थ होने का मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या शामिल है और आप विभिन्न प्रक्रियाओं के फायदे और नुकसान के बारे में स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं।
- आपको पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए, और आपको दूसरे लोगों की तरफ से किसी दबाव के बिना अपना निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- यदि आप अपने विचारों को व्यक्त करने में किसी की मदद चाहतें हैं, तो आप किसी दोस्त, रिश्तेदार, साथी या देखभालकर्ता, स्टाफ के एक सदस्य, या एक स्वतंत्र प्रतिनिधि (जिसे अक्सर 'अधिवक्ता' ऐडवोकेट कहा जाता है) से कह सकते हैं। एक ऐडवोकेट एन एच एस से स्वतंत्र होता है। वे यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि आपके विचारों को सुना जाए और अपने निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी आपको उपलब्ध हो। आप अपनी देखभाल में शामिल स्टाफ के किसी सदस्य से अपने क्षेत्र में ऐडवोकेसी सेवाओं के बारे में पूछ सकते हैं।

## What if I can't give consent?

You can give consent only if you can understand the information you are given, make a decision, remember your decision and tell other people your decision. If you can't do all these things, it is called 'incapacity'.

- If your incapacity is because of intoxication from drugs or alcohol, a health professional may be able to treat you without consent, if this is in your best interests.
- If your incapacity is because of a mental disorder such as a learning disability or dementia, someone else may be able to give consent for you.

### क्या होगा यदि मैं सहमति नहीं दे सकता/ती?

आप सिर्फ तभी सहमित दे सकते हैं यदि आप आपको दी गई जानकारी को समझते हैं, निर्णय ले सकते हैं, अपना निर्णय याद रख सकते हैं और दूसरों को अपने निर्णय के बारे में बता सकते हैं। यदि आप यह सब नहीं कर सकते, इसे 'असमर्थता' कहा जाता है।

- यदि आपकी असमर्थता ड्रग्स या शराब के नशे की वजह से है, तो आपके सर्वोत्तम हित को देखते हुए, एक स्वास्थ्य पेशेवर आपकी सहमति के बिना आपका उपचार कर सकतें हैं।
- यदि आपकी असमर्थता किसी मानसिक बीमारी जैसे सीखने की अक्षमता या पागलपन (डिमेंशिया) की वजह से है, तो कोई और आपके लिए सहमति दे सकता/ती है।

## If you are an adult

Someone can give consent for you if:

you have given them welfare power of attorney with the power to

### यदि आप एक वयस्क हैं

कोई और आपके लिए सहमति दे सकता है यदि:

• आपने उन्हें उपचार के लिए सहमति की शक्ति के साथ एक कल्याणकारी

consent to treatment, or

- a court has given them a welfare guardianship order with the power to consent to treatment, or
- a court has given them a welfare intervention order specifically for the treatment, and the treatment is needed only for a short time.

Doctors can also treat you if there is no-one who can give consent on your behalf, and the treatment will benefit you.

You should always be given information in a way that you understand and you should always be given help to communicate.

For more information, see the leaflet **Caring and consent.** See page 13 for where to get a copy.

See page 11 for where to get more information about the rights of adults with incapacity.

#### If you are under 16

 Someone with parental responsibility can give consent for you if you can't give it yourself.

See page 13 for where to get more information about the rights of young people under 16.

मुख्तारी अधिकार (पावर ऑफ अटर्नी) दिया है, या

- एक अदालत ने उन्हें उपचार के लिए सहमित की शक्ति के साथ एक कल्याणकारी संरक्षकता अधिकार (पावर ऑफ अटर्नी) दिया है, या
- एक अदालत ने उन्हें विशेष तौर से उपचार के लिए एक कल्याणकारी हस्तक्षेप आदेश दिया है, और उपचार केवल कम समय के लिए आवश्यक है।

यदि आपकी ओर से सहमित प्रदान करने के लिए कोई भी ना हो, तब भी डॉक्टर आपका उपचार कर सकते हैं. और इस उपचार से आपको लाभ होगा।

आपको हमेशा इस तरीके से जानकारी मिलनी चाहिए जिसे आप समझ सकें और आपको हमेशा संवाद के लिए मदद दी जानी चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए, **देखभाल और सहमति** पुस्तिका देखें। इसकी एक प्रति कहां से प्राप्त करनी है जानने के लिए पृष्ठ 13 देखें।

असमर्थता वाले व्यस्कों के अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त करनी है जानने के लिए पृष्ठ 11 देखें।

#### यदि आपकी उम्र 16 साल से कम है

 अभिभावकीय जिम्मेदारी के साथ कोई व्यक्ति आप के लिए सहमित दे सकते हैं यदि आप खुद नहीं दे सकते।

16 साल से कम उम्र के युवाओं के अधिकारों के बारे जानकारी कहां से प्राप्त करनी है जानने के लिए पृष्ठ 13 देखें।

### What happens in an emergency?

- In an emergency for example, if you've been in a road accident and you need urgent treatment to save your life – you may not be well enough to make a decision about your treatment.
- If you can't give your consent and there is no time for anyone else to make a decision for you, doctors can treat you. But they can only treat you without your consent if this is necessary to save your life or stop you suffering more serious harm.

#### एक आपात स्थिति में क्या होता है?

- एक आपात स्थिति में उदाहरण के लिए, यदि आपकी एक सड़क दुर्घटना हुई है और आपका जीवन बचाने के लिए आपको तुरंत उपचार की जरूरत है
   – हो सकता है कि आप अपने उपचार के बारे में निर्णय लेने के लिए यथेष्ट रूप से ठीक न हों।
- यदि आप अपनी सहमित नहीं दे सकते और किसी दूसरे द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए समय नहीं है, तो डॉक्टर आपका उपचार कर सकते हैं। पर वे आपकी सहमित के बिना आपका उपचार सिर्फ तब ही कर सकते हैं यदि आपका जीवन बचाने के लिए या आपको ज्यादा गंभीर नुकसान होने से बचाने के लिए इसकी आवश्यकता हो।

#### How will I be asked to give my consent?

- A doctor or another health professional may ask you to do something to show your consent. For example, a doctor may ask to examine your foot. If you take off your shoe, it shows you agree to this.
- Usually you will be asked to say whether you agree to the examination or treatment.
- If the examination or treatment is complicated, for example an operation, you may be asked to sign a form showing you agree to it.

### मुझे अपनी सहमति देने के लिए किस तरह पूछा जाएगा?

- एक डॉक्टर या अन्य स्वास्थ्य पेशेवर आपको अपनी सहमित दिखाने के लिए कुछ करने के लिए कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर आपके पैर का निरीक्षण करने के लिए कह सकता है। यदि आप अपना जूता उतारते हैं, तो यह आपकी सहमित दर्शाता है।
- आम तौर पर आप से पूछा जाएगा कि आप परीक्षण या उपचार के लिए सहमत हैं या नहीं।
- यदि परीक्षण या उपचार जटिल है, उदाहरण के लिए, एक ऑपरेशन के लिए, आपको एक फॉर्म पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दर्शाने के लिए कहा जा सकता है|

### What information should I be given?

- To help you make a decision, NHS staff involved in your care must give you information about the examination or treatment you are being offered in a way that you understand. You may want to know:
  - why you are being offered the examination or treatment
  - what it will involve
  - what the benefits are

### मुझे क्या जानकारी दी जानी चाहिए?

- एक निर्णय लेने में मदद के लिए, आपकी देखभाल में शामिल एन एच एस स्टाफ को आपको प्रस्तावित परीक्षण या उपचार के बारे में जानकारी इस प्रकार देनी चाहिए कि आप उसे समझ सकें। आप जानना चाह सकते हैं:
  - आपको परीक्षण या उपचार की पेशकश क्यों की जा रही है
  - इसमें क्या शामिल होगा
  - इसके क्या फायदे हैं

- whether there are any risks or side effects
- how large or small the risks are
- whether there are any alternatives
- what may happen if you don't have the examination or treatment
- whether you will have to pay (for example for dental treatment), and
- the name of the doctor who is responsible for your care.
- You have the right to ask questions if you don't understand or you want to know more. If the person who is asking you to give consent can't answer your questions, ask them if they can find out or get someone else who can help. If you think you need it, you can ask for a second opinion.
- If you need an interpreter, ask a member of staff to arrange this for you in advance. When you make an appointment, tell them which language you prefer.
- If you wish, someone can be with you when you are told about the examination or treatment. This could be a friend, a relative, a partner or carer, another member of staff, or an independent advocate.
- You may find it difficult to fully understand what you've been told about an examination or treatment. If you would like to take away written information to help you make a decision, you should say so.
- Staff will give you all the information you need in a way that you
  can understand and meets your needs (for example in audio
  format, British Sign Language, or a language other than English).

- इसके कोई जोखिम या द्ष्प्रभाव हैं या नहीं
- जोखिम कितने अधिक या कम हैं
- क्या इसके कोई विकल्प हैं या नहीं
- परीक्षण या उपचार ना करवाने पर क्या हो सकता है
- आपको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी या नहीं (उदाहरण के लिए दांतों के उपचार के लिए), और
- आपकी देखभाल के लिए जिम्मेदार डॉक्टर का नाम
- आपको सवाल पूछने का अधिकार प्राप्त है यदि आप नहीं समझते या अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आपकी सहमति लेना वाला व्यक्ति आपके प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ है, तो उन्हें पता करने के लिए पूछें या किसी और को बुलाने के लिए कहें जो मदद कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको जरूरत है, आप एक दूसरी राय की मांग कर सकते हैं।
- यदि आपको एक अनुवादक की जरूरत है, तो आप स्टाफ के किसी सदस्य को पहले से इसकी व्यवस्था करने के लिए कहें। जब आप मिलने का समय निश्वित करें, उन्हें बताएं कि आप कौन सी भाषा पसंद करते है।
- यदि आप चाहते हैं, जब आपको अपने परीक्षण या उपचार के बारे में जानकारी दी जा रही है कोई आपके साथ मौजूद रह सकता है। यह एक मित्र, रिश्तेदार, साथी या देखभालकर्ता, स्टाफ का कोई दूसरा सदस्य, या एक स्वतंत्र प्रतिनिधि हो सकता है।
- हो सकता है कि आपके परीक्षण या उपचार के बारे प्रदान की गई जानकारी को पूरी तरह समझने में मुश्किल पेश आए। यदि आप एक फैसला करने में मदद के लिए लिखित जानकारी अपने साथ ले कर जाना चाहते हैं, तो आपको ऐसा कहना चाहिए।
- स्टाफ आपको सारी जानकारी एक ऐसे तरीके से देंगे जिसे आप समझ सकें और जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे (उदाहरण के लिए श्रव्य स्वरुप, ब्रिटिश संकेत भाषा, या अंग्रेज़ी के अलावा किसी और भाषा में)।

#### How long can I take to decide?

In emergencies, decisions will have to be made quickly. In other cases you may be able to take more time. It is important that you are given enough time to make your decision so you don't feel rushed. If you want time to think about your decision, you should say so.

# मैं फैसला करने में कितना समय ले सकता/ ती हूँ?

आपात स्थितियों में, निर्णय जल्दी करने पड़ेंगे। अन्य मामलों में आप अधिक समय ले सकतें हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आपको निर्णय करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए तांकि आप जल्दबाज़ी महसूस न करें। यदि आप अपने निर्णय के बारे में सोचने के लिए समय चाहते हैं, तो आप ऐसा कह सकतें हैं।

## What if I change my mind?

You can change your mind about giving your consent to an examination or treatment at any time. You should tell one of the people looking after you.

## क्या होगा यदि मैं अपना मन बदल लूँ?

आप किसी परीक्षण या उपचार के लिए सहमति देने के बारे में किसी भी समय अपना मन बदल सकते हैं। आपको आपकी देखभाल कर रहे लोगों में से किसी को यह बताना चाहिए।

#### Can I refuse examination and treatment?

- Normally you can refuse an examination or treatment at any time, even if this means your health, or the health of your unborn baby, may be seriously harmed.
- It is important that you understand what may happen to you if you decide not to have the examination or treatment.
- If another treatment can be used instead, you should be given information about it. But you can't insist on a particular treatment if the NHS staff involved in your care don't think it will help you.
- Remember that you can ask for a second opinion about the treatment you have been offered.

# क्या मैं परीक्षण या उपचार के लिए मना कर सकता/ ती हूँ?

- आम तौर पर आप किसी भी समय एक परीक्षण या उपचार के लिए मना कर सकते हैं, भले ही इसका मतलब हो कि आपकी, या आपके अजन्मे बच्चे के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो सकता है।
- यह महत्वपूर्ण है कि आप इस बात को समझें कि आपको क्या हो सकता है
  यदि आप परीक्षण या उपचार नहीं कराने का निर्णय लेते करते हैं। विकल्प के
  रूप में यदि दूसरे उपचार का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आपको इस
  बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। लेकिन आप किसी खास उपचार के लिए
  जिद्द नहीं कर सकते यदि आपकी देखभाल कर रहे एन एच एस स्टाफ को
  नहीं लगता कि आपको इससे मदद मिलेगी।
- याद रखें कि प्रस्तावित उपचार के बारे में आपको दूसरी राय की मांग करने का अधिकार है।

#### Information for young people under 16

If you are under 16, and the health care professional looking after you believes you can make decisions for yourself, you can refuse examination or treatment.

#### However:

the person providing your care may ask why you don't want it.

## 16 साल से कम उम्र के युवाओं के लिए जानकारी

यदि आप की आयु 16 साल से कम है, और आपकी देखभाल कर रहे स्वास्थ्य पेशेवर मानते हैं कि आप अपने लिए निर्णय कर सकते हैं, तो आप परीक्षण या उपचार के लिए मना कर सकते हैं।

लेकिन:

They need to know they have given you enough information for you to make your decision

 in very unusual cases, if you have refused treatment and you have a very serious condition, your parent or the person who looks after you may disagree with you and want to discuss your case with a lawyer. You could also have your own lawyer to help you with this.

For more information contact the Scottish Child Law Centre (see page 10)

For where to find information about consent for young people under 16, see page 13.

- आपकी देखभाल प्रदान करने वाला व्यक्ति आपसे पूछ सकता है कि आप यह क्यों नहीं चाहते। उनके लिए जानना जरूरी है कि उन्होंने आपको अपना निर्णय लेने के लिए पर्याप्त जानकारी दी है।
- बहुत असाधारण मामलों में, यदि आपने उपचार के लिए मना किया है और आपको एक बहुत गंभीर बीमारी है, आपके माता-पिता या वह व्यक्ति जो आपकी देखभाल करता है आप के साथ असहमत हो सकते हैं और आपके मामले पर एक वकील के साथ बात-चीत करना चाह सकतें हैं। इस विषय के बारे में आप अपने वकील की मदद भी ले सकतें हैं।

अधिक जानकारी के लिए स्कॉटिश चाईल्ड लॉ सेंटर से संपर्क करें (पृष्ठ 10 देखें)
16 साल से कम उम्र के युवा लोगों के लिए सहमित के बारे में जानकारी कहाँ से
प्राप्त करनी है जानने के लिए, पृष्ठ 13 देखें।

#### What if I have a mental illness or disorder?

- In most cases, if you have a mental health problem, you have the same right to accept or refuse an examination or treatment as anyone else.
- But if you are being cared for under the Mental Health Act, you can be examined and treated for your mental illness or disorder without your consent. This will happen only if:
  - it is in your best interests, and
  - there would be a significant risk to yourself or others if you didn't have the treatment.

There are guidelines for certain treatments. Your doctor may need to get a second opinion from another doctor before giving you a particular treatment.

 The Scottish Government Health Directorates have produced a series of guides for people with a mental disorder and their carers. See page 12 for where to get copies of these.

For more information about the rights of people with mental illnesses or disorders, see page 11.

### क्या होगा यदि मुझे कोई मानसिक बीमारी या विकार है?

- अधिकांश मामलों में, यदि आपको कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, तो आपको भी किसी और की तरह परीक्षण या उपचार को स्वीकार या अस्वीकार करने का समान अधिकार है।
- लेकिन यदि मैंटल हैल्थ ऐक्ट के अंतर्गत आपकी देखभाल की जा रही है, तो आपकी सहमति के बिना आपकी मानसिक बीमारी के लिए आपका परीक्षण या उपचार किया जा सकता है। ऐसा केवल तब होगा यदि:
  - यह आपके सर्वोत्तम हित में है, और
  - आपको या दूसरों को एक महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है यदि
     आपका उपचार नहीं होता।

कुछ उपचारों के लिए दिशा निर्देश हैं। आपके डॉक्टर को आपको कोई विशेष उपचार देने से पहले किसी और डॉक्टर से दूसरी राय प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है।

• स्कॉटिश गवर्मन्ट हैल्थ डाइरेक्टोरेटस ने मानसिक विकारों वाले लोगों और उनके देखभाल करने वालों के लिए गाईड की एक श्रृंखला तैयार की है।

इसकी प्रतिलिपि कहाँ से प्राप्त करनी हैं जानने के लिए पृष्ठ 12 देखें। मानसिक बीमारी या विकारों वाले लोगों के अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, पृष्ठ 11 देखें।

#### What if I'm asked to take part in teaching?

- NHS staff involved in your care should always ask if you prefer not to have a student present while you are examined or treated. You have a right to refuse, and the standard of care you receive won't be affected.
- Staff must ask you to give your consent before they take any photographs or make any video or sound recordings of your examination or treatment for teaching purposes. Wherever possible, they will remove information that identifies you before using the recordings. Where this isn't possible, they must tell you before you make your decision.
- If you agree to photos being taken or recordings being made for teaching purposes, you can change your mind later. If you withdraw your consent, the photos or recordings will not be used and will be destroyed as soon as possible.

## क्या होगा यदि मुझे शिक्षण में हिस्सा लेने के लिए कहा जाएगा?

- आपकी देखभाल में शामिल एन एच एस स्टाफ को हमेशा प्छना चाहिए कि जब आपका परीक्षण या उपचार किया जा रहा है, क्या आप वहाँ किसी विद्यार्थी का नहीं होना पसंद करेंगे। आपको इन्कार करने का अधिकार है, और इससे आपको प्राप्त हो रही देखभाल के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- स्टाफ को शिक्षा के उद्देश्यों से आपके परीक्षण या उपचार की कोई तस्वीरें खींचने या कोई विडियो बनाने या ध्विन रिकार्ड करने से पहले हमेशा आपको सहमित देने के लिए पूछना चाहिए। जहाँ संभव हो, रिकार्डिंग का इस्तेमाल करने से पहले वे ऐसी जानकारी हटा देंगे जिससे आपकी पहचान होती है। ऐसा संभव ना होने पर, आपके द्वारा निर्णय लिए जाने से पहले उनके लिए आपको सूचित करना आवश्यक होगा।
- यदि आप शिक्षण उद्देश्यों के लिए तस्वीरें खींचने या रिकॉर्डिंग करने के लिए सहमत हैं, आप बाद में अपना मन बदल सकते हैं। यदि आप अपनी सहमति वापस ले लेते हैं, तस्वीरों और रिकार्डिंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और जितनी जल्दी हो सकता है उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।

### What if I'm asked to take part in research?

- If you can make your own decisions, it's up to you to decide whether you want to take part in research.
- Before you decide, you should be given as much information about the research as you need, and you can ask as many questions as you wish.
- You will usually be given written information about the research to take home. You can use this to discuss the research with your family and friends if you want to. You should never be put under any pressure to agree to take part.
- If you do want to take part in research, the staff should ask you to

### क्या होगा यदि मुझे अनुसंधान में हिस्सा लेने के लिए कहा जाएगा?

- यदि आप अपने निर्णय खुद कर सकते हैं, यह निर्णय आप पर निर्भर करता है कि आप अनुसंधान में हिस्सा लेना चाहते हैं या नहीं।
- इससे पहले कि आप निर्णय करें, आपको अनुसंधान के बारे में जितनी जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है, आपको दी जानी चाहिए, और आप जितने चाहें सवाल पूछ सकते हैं।
- आपको आम तौर पर अनुसंधान के बारे में घर ले कर जाने के लिए लिखित जानकारी दी जाएगी। यदि आप चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल अपने परिवार और दोस्तों के साथ अनुसंधान के बारे बात-चीत करने के लिए कर

sign a form showing that you give your consent. They may give you a copy of this form to keep, and will also keep a copy in your health records.

- You can change your mind at any time about taking part in research, without giving a reason.
- If you decide not to take part in the research, the standard of care you receive will not be affected.

## सकते हैं। आपको भाग लेने के लिए सहमित देने के लिए किसी दबाव में नहीं डालना चाहिए।

- यदि आप अनुसंधान में भाग लेना चाहते हैं, स्टाफ आपको एक फॉर्म पर यह दिखाते हुए हस्ताक्षर करने के लिए कहेंगे कि आप अपनी सहमति देते हैं। वे आपको इस फार्म की एक प्रतिलिपि रखने के लिए दे सकते हैं, और एक प्रतिलिपि आपके स्वास्थ्य रिकार्ड में भी रखी जाएगी।
- आप किसी भी समय बिना कोई कारण बताये अनुसंधान में भाग लेने का निर्णय बदल सकते हैं।
- यदि आप अनुसंधान में भाग नहीं लेने का निर्णय लेते हैं, तो आपको प्राप्त देखभाल का स्तर प्रभावित नहीं होगा।

### Consent for using personal health information

The NHS must keep your personal health information confidential. You should be involved in decisions about how your personal health information is used.

For more information about using your personal health information, see the factsheet **Confidentiality: the right for your personal health information to be kept secure and confidential**. See page 13 for where to get a copy of this factsheet.

#### What if I'm not happy?

If you are unhappy about how you have been involved in decisions about your health care, first talk to a member of NHS staff involved in your care. If you are still unhappy, you can make a formal complaint.

For more information about making a complaint, see the factsheet **Feedback and complaints: the right to have a say about your care and have any concerns and complaints dealt with.** See page 13 for where to get a copy of this factsheet.

## निजी स्वास्थ्य जानकारी के इस्तेमाल के लिए सहमति

एन एच एस को आपकी निजी स्वास्थ्य जानकारी गुप्त रखनी चाहिए। आपकी निजी स्वास्थ्य जानकारी का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है के निर्णयों में आपको शामिल होना चाहिए।

आपकी निजी स्वास्थ्य जानकारी के इस्तेमाल के बारे में अधिक जानकारी के लिए तथ्यपत्र गोपनीयताः आपकी निजी स्वास्थ्य जानकारी को सुरक्षित और गोपनीय रखे जाने का अधिकार देखें। इस तथ्यपत्र की प्रतिलिपि कहाँ से प्राप्त करनी हैं जानने के लिए पृष्ठ 13 देखें।

## क्या होगा यदि मैं खुश नहीं हूँ?

यदि आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में किए गए निर्णयों में जिस प्रकार से शामिल हैं उससे खुश नहीं हैं, तो पहले अपनी देखभाल में शामिल एन एच एस स्टाफ से बात करें। यदि आप फिर भी खुश नहीं हैं, आप एक विधिवत शिकायत कर सकते हैं।

शिकायत करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए तथ्यपत्र प्रतिक्रिया और शिकायतें: अपनी देखभाल के बारे में कुछ कहने और किसी भी चिंताओं और शिकायतों के साथ निपटने का अधिकार। इस तथ्यपत्र की प्रतिलिपि कहाँ से प्राप्त

करनी हैं जानने के लिए पृष्ठ 13 देखें।

### How to find out more

- For more information about anything in this leaflet, contact:
  - a member of NHS staff involved in your care
  - the NHS inform Helpline on 0800 22 44 88 (textphone 18001 0800 22 44 88; the helpline also provides an interpreting service), or
  - the Patient Advice & Support Service (PASS) at your local citizens advice bureau (find your nearest bureau on the website at www.cas.org.uk or in your local phone book). PASS is independent and provides free, confidential information, advice and support to anyone who uses the NHS in Scotland.
- For more information about how the law affects children and young people, contact:

#### The Scottish Child Law Centre

54 East Crosscauseway

Edinburgh EH8 9HD

Information helpline 0131 667 6333

Freephone number for people under 18 0800 328 8970

Free text enquiry service: text 'SCLC' followed by your question to **80800** (replies will be sent to your mobile)

Email enquiries@sclc.org.uk

Website www.sclc.org.uk

#### अधिक जानकारी कैसे प्राप्त करें

- इस तथ्यपत्र में किसी चीज के बारे में अधिक जानकारी के लिए. संपर्क करें:
  - आपकी देखभाल में शामिल एन एच एस स्टाफ के किसी सदस्य से
  - एन एच एस इन्फार्म हैल्पलाइन से 0800 22 44 88 पर (टैक्सटफोन 18001 0800 22 44 88; यह हैल्पलाइन एक अनुवादक सेवा भी प्रदान करती है), या
  - अपने स्थानीय सिटीज़न्स ऐडवाइस ब्यूरो पर रोगी सलाह और सहारा सेवा (PASS) से (अपना नज़दीकी ब्यूरो पर वेबसाइट पर www.cas.org.uk या अपनी स्थानीय फोन बुक में ढूँढें)।
     PASS स्वतंत्र है और ऐसे लोगों को मुफ्त, विश्वसनीय जानकारी, सलाह और सहारा प्रदान करती है जो स्कॉटलैंड में एन एच एस का इस्तेमाल करते हैं।
- कानून बच्चों और युवाओं को कैसे प्रभावित करता है के बारे में अधिक जानकारी के लिए, संपर्क करें:

#### स्कॉटिश चाडल्ड लॉ सेंटर

#### The Scottish Child Law Centre

54 East Crosscauseway

Edinburgh EH8 9HD

जानकारी हैल्पलाइन 0131 667 6333

18 से कम उम्र के लोगों के लिए निःश्ल्क फोन नंबर 0800 328 8970

नि:शुल्क टैक्सट पूछताछ सेवा: अपने सवाल के बाद **80800** पर 'SCLC' टैक्सट करें (जवाब आपके मोबाइल पर भेजे जाएंगे)

ईमेल enquiries@sclc.org.uk

If you can't make decisions for yourself or can't tell others your decisions, this is called 'incapacity'. The leaflet **Caring and consent** explains the rights of people who can't consent to medical treatment and the rights of their carers. See page above for where to get a copy. For general information about the Adults with Incapacity (Scotland) Act, contact:

### The Office of the Public Guardian (Scotland)

Hadrian House

Callendar Business Park

Callendar Road

Falkirk FK1 1XR

Phone **01324 678 300** 

Email opg@scotcourts.gov.uk

Website www.publicguardian-scotland.gov.uk

 For more information about the rights of people with a mental illness, learning disability, dementia or related conditions, contact the Mental Welfare Commission for Scotland. They can also give you information and advice on people's rights under the Adults with Incapacity Act.

Mental Welfare Commission for Scotland

Thistle House

91 Haymarket Terrace

Edinburgh EH12 5HE

Phone **0131 313 8777** 

Freephone number for service users and carers 0800 389 6809

Email enquiries@mwcscot.org.uk

Website www.mwcscot.org.uk

For information about advocacy and to find a local advocacy group,

वेबसाइट www.sclc.org.uk

यदि आप अपने लिए निर्णय करने में असमर्थ हैं या दूसरों को अपने निर्णयों के बारे में नहीं बता सकते, इसे 'असमर्थता' कहा जाता है। तथ्यपत्र देखभाल और सहमति उन लोगों के अधिकार जो चिकित्सकीय उपचार के लिए सहमति नहीं दे सकते और उनके देखभालकर्ताओं के अधिकारों को समझाता है। इसकी प्रतिलिपि कहाँ से प्राप्त करनी हैं जानने के लिए ऊपर वाला पृष्ठ देखें। एडल्ट्स विथ इनक्पैसिटी (स्कॉटलैंड) एक्ट के बारे में आम जानकारी के लिए, संपर्क करें:

द ऑफिस ऑफ द पब्लिक गार्डियन (स्कॉटलैंड)

The Office of the Public Guardian (Scotland)

Hadrian House

Callendar Business Park

Callendar Road

Falkirk FK1 1XR

फोन 01324 678 300

ईमेल opg@scotcourts.gov.uk

वेबसाइट www.publicguardian-scotland.gov.uk

• मानसिक बीमारी, सीखने में अक्षमता, पागलपन, या अन्य संबंधित विकारों वाले लोगों के अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, **द मेंटल** वेलफेयर कमीशन फॉर स्कॉटलैंड के साथ संपर्क करें। वे आपको एडल्टस विथ इनक्पैसिटी (स्कॉटलैंड) एक्ट के अंतर्गत लोगों के अधिकारों पर जानकारी और सलाह भी दे सकते हैं।

Mental Welfare Commission for Scotland

Thistle House

91 Haymarket Terrace

Edinburgh EH12 5HE

contact:

**Scottish Independent Advocacy Alliance** 

Phone **0131 260 5380** 

Email enquiry@siaa.org.uk

Website www.siaa.org.uk

 The Scottish Government Health Directorates have produced a series of guides for people with a mental disorder and their carers. These include a guide on giving consent to treatment. If you would like copies of any of these guides, contact:

Mental Health Law Team

Mental Health Division

Scottish Government Health Directorates

St Andrew's House

Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

Phone **0131 244 2591** 

Email mentalhealthlaw@scotland.gsi.gov.uk

Website <u>www.scotland.gov.uk</u> (search for 'Information and Topic Guides').

# Information about health rights

- The Charter of Patient Rights and Responsibilities tells you what you can expect from the NHS and what the NHS expects from you.
- The series of Your health, your rights factsheets explain what the rights and responsibilities included in the Charter mean for you:
  - Access: your rights when using NHS services in

फोन 0131 313 8777

सेवा का इस्तेमाल करने वालों और देखभालकर्ताओं के लिए निःशुल्क फोन नंबर 0800 389 6809

ईमेल enquiries@mwcscot.org.uk

वेबसाइट www.mwcscot.org.uk

 एडवोकेसी (वकालत) के बारे में अधिक जानकारी के लिए और एक स्थानीय एडवोकेसी समूह ढूंढने के लिए, संपर्क करें:

स्कॉटिश इनडिपैन्डैंट ऐडवोकेसी अलायन्स

**Scottish Independent Advocacy Alliance** 

फोन 0131 260 5380

ईमेल enquiry@siaa.org.uk

वेबसाइट www.siaa.org.uk

• स्कॉटिश गवर्मन्ट हैल्थ डाइरेक्टोरेटस ने मानसिक विकारों वाले लोगों और ठनके देखभालकर्ताओं के लिए गाईड की एक श्रृंखला तैयार की है। इसमें उपचार के लिए सहमति देने पर मार्गदर्शन शामिल है। यदि आप इनमें से किसी भी गाईड की प्रतिलिपि प्राप्त करना चाहते हैं, संपर्क करें:

मैंटल हैल्थ लॉ टीम

Mental Health Law Team

Mental Health Division

Scottish Government Health Directorates

St Andrew's House

Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

फोन 0131 244 2591

ईमेल mentalhealthlaw@scotland.gsi.gov.uk

Scotland.

- Hospital waiting times: how quickly you should receive hospital care.
- Communication and participation: the right to be informed, and involved in decisions, about health care and services.
- Confidentiality: the right for your personal health information to be kept secure and confidential.
- Respect: the right to be treated with dignity and respect.
- Safety: the right to safe and effective care.
- Feedback and complaints: the right to have a say about your care and have any concerns and complaints dealt with.
- How to see your health records explains your right to see or have a copy of your health record.
- Health care for overseas visitors is a set of factsheets explaining what NHS services overseas visitors can expect to receive while they are in Scotland.

#### Information for young people

- Consent your rights explains how you should be involved in decisions about your health care and treatment.
- Confidentiality your rights tells you how the health service keeps information about you private.
- Have your say! Your right to be heard tells you how to give feedback or make a complaint about the NHS.

#### Information for carers

 Caring and consent explains your right to be involved in decisions about the health care of the adult you care for. वेबसाइट www.scotland.gov.uk ('इनफॉरमेशन एंड टॉपिक गाइड्स' ढूँढें).

#### स्वास्थ्य अधिकारों के बारे में जानकारी

- रोगी अधिकारों और जिम्मेदारियों का चार्टर आपको बताता है कि आप एन एच एस से क्या उम्मीद कर सकते हैं और एन एच एस आपसे क्या उम्मीद करता है।
- आपका स्वास्थ्य, आपके अधिकार तथ्यपत्रों की यह श्रृंखला आपको समझाती है कि इस चार्टर में शामिल अधिकार और जिम्मेदारियां आपके लिए क्या मायने रखते हैं:
  - पहुँच: आपके अधिकार जब आप स्कॉटलैंड में एन एच एस सेवाएँ प्राप्त करते हैं।
  - अस्पताल के लिए इंतज़ार का समयः आपको कितनी जल्दी अस्पताल की देखभाल प्राप्त होनी चाहिए।
  - संवाद और सहभागिताः स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं के संबंध में, किये जाने वाले फैसलों में सूचित और शामिल होने का अधिकार।
  - गोपनीयता: आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जानकारी को सुरक्षित और गोपनीय रखे जाने का अधिकार।
  - सम्मान: गरिमा और सम्मान के साथ इलाज किये जाने का अधिकार।
  - सुरक्षाः सुरक्षित और प्रभावी देखभाल प्राप्त करने का अधिकार।
  - प्रतिक्रिया और शिकायतें: अपनी देखभाल के बारे में अपनी बात कहने और किसी भी चिंताओं और शिकायतों के साथ निपटने का अधिकार।
- अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड कैसे देखें आपको अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड की एक प्रति देखने या प्राप्त करने के आपके अधिकार को समझाता है।
- विदेशी पर्यटकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तथ्यपत्रों का एक सेट है जो यह समझाता है कि विदेशी आगंतुक जब स्कॉटलैंड में हों तब वे कौन सी एन एच एस सेवाएं प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं।

	युवाओं के लिए जानकारी
	• सहमति – आपके अधिकार आपको समझाता है कि आपको कैसे अपने स्वास्थ्य की देखभाल और उपचार के बारे में निर्णय लेने में शामिल होना चाहिए।
	• गोपनीयता – आपके अधिकार आपको बताता है कि स्वास्थ्य सेवा आपकी जानकारी किस प्रकार निजी रखती है।
	• अपनी बात कहें! आपको सुने जाने का आपका अधिकार आपको बताता है कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है या एन एच एस के बारे में शिकायत कैसे करनी है।
	देखभाल करने वालों के लिए जानकारी
	• देखभाल और सहमति जिस वयस्क की आप देखभाल करते हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में निर्णय लेने में शामिल होने के आपके अधिकार को समझाता है।
We have tried our best to make sure that this information is correct. However, the information is for guidance only so you should not rely on it as a full statement of the law. If you are thinking about taking legal action, you should contact a solicitor, a citizens' advice bureau, the Patient Advice and Support Service or other advice agency.	हमनें अपनी तरफ से यह पक्का करने की पूरी कोशिश की है कि यह जानकारी सही है। हालांकि, यह जानकारी सिर्फ मार्गदर्शन के लिए है इसलिए आपको कानून के एक पूरे बयान के रूप में इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि आप कानूनी कारवाई करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको एक वकील, सिटीज़न्स एडवाइस ब्यूरो, रोगी सलाह और सहारा सेवा या किसी अन्य एजेंसी के साथ संपर्क करना चाहिए।
Produced by NHS inform.	एन एच एस इन्फार्म द्वारा उत्पादित।
To get this leaflet in another language or format phone your local NHS board. If you need help to do this contact the NHS inform Helpline on 0800 22 44 88 (textphone 18001 0800 22 44 88; the helpline also provides an interpreting service).	इस पुस्तिका को किसी और भाषा या स्वरूप मे प्राप्त करने के लिए अपने स्थानीय एन एच एस बोर्ड को फोन करें। यदि ऐसा करने के लिए आपको मदद की जरूरत है, एन एच एस इन्फार्म हैल्पलाइन को 0800 22 44 88 पर फोन करें (टैक्सटफोन 18001 0800 22 44 88; यह हैल्पलाईन एक अनुवादक सेवा भी प्रदान करती है)।

Version 4 - Produced in February 2013 - Revision date February 2016

संस्करण 4 - फरवरी 2013 में उत्पादित - संशोधन तारीख फरवरी 2016